[2021] 11 एस. सी. आर 1083

एम. पी. आवास और अवसंरचना विकास बोर्ड और अन्य

बनाम

केपी द्विवेदी

(2021 की सिविल अपील संख्या 6768)

3 दिसंबर, 2021

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

मध्य प्रदेश मध्यम अधिकारन, 1983 एस. एस. 7 और

19 संदर्भ याचिका और संशोधन याचिका-अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं के बीच घरों के निर्माण के लिए अनुबंध निष्पादित किया गया था-इस संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ कार्य पूरा करने के लिए समय का विस्तार-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका के अनुबंध को रद्द कर दिया -

उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की सर्वसम्मति के साथ दिनांकित आदेश द्वारा एक मध्यस्थ अर्थात् आवास आयुक्त नियुक्त किया-मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी के दावे को खारिज करते हुए दिनांकित एक पुरस्कार पारित किया और उक्त पुरस्कार को चुनौती देने के बजाय अपीलार्थी को राहत प्रदान की। 34 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार, प्रतिवादी ने नई संदर्भ याचिका दायर की

एम. पी. मध्यस्थता न्यायाधिकरण यू/एस के समक्ष। 7 1983 के अधिनियम-एम. पी. मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी के दावे को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया क्योंकि दावा पहले ही मध्यस्थ द्वारा तय किया जा चुका था और पुरस्कार ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था।

-

इसके बाद प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के यू/एस के समक्ष मध्यस्थता संशोधन याचिका दायर की। 19 1983 के अधिनियम, जिसे उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई थी, में संदर्भ/दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। कानून के अनुसार-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय द्वारा विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करते हुए पारित आदेश एक सहमति आदेश था

प्रतिवादी-ठेकेदार ने मध्यस्थता में भाग लिया

दावा प्रस्तुत करके की जाने वाली कार्यवाही पक्षों के लिए 'रोक-टोक जारी करने' द्वारा बाध्यकारी है-मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को चुनौती नहीं दी गई थी और इसने अंतिमता प्राप्त कर ली है-एस के

अनुसार। 19 1983 के अधिनियम के अनुसार, संशोधन आवेदन केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ बनाए रखा जा सकता है-तत्काल मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कोई निर्णय पारित नहीं किया था-यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी

मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार-तकनीकी रूप से, मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश

मध्यस्थता संशोधन याचिका को रद्द कर दिया जाता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 27.02.2017 द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. प्रत्यर्थी-ठेकेदार का मामला कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 20.08.2008 पारित किया गया था

2008 की रिट याचिका No.9131 में, पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थ को निर्णय के लिए संदर्भित करते हुए-आवास

आयुक्त और उसके बाद मध्यस्थ आवास आयुक्त द्वारा दिनांक 07.11.2008 घोषित पुरस्कार गैर-अनुमानित और अमान्य हैं और इसलिए, ठेकेदार के लिए एक नया आवेदन दायर करने के लिए खुला था।

1983 के अधिनियम की धारा 7 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भ याचिका को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है: (i) यह प्रतिवादी ठेकेदार था जिसने उच्च न्यायालय से संपर्क किया था।

न्यायालय 2008 की रिट याचिका No.9131 दाखिल करके यह प्रस्तुत करता है कि उसने मध्यस्थता खंड को लागू किया है; (ii) द्वारा पारित आदेश

उच्च न्यायालय ने 2008 की रिट याचिका No.9131 में पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करते हुए पारित किया-आवास आयुक्त एक सहमति आदेश था; (iii) इसके बाद प्रतिवादी ठेकेदार ने विद्वान मध्यस्थ-आवास आयुक्त के समक्ष दावे प्रस्तुत किए; (iv) विद्वान मध्यस्थ-आवास आयुक्त ने एक पुरस्कार पारित किया जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है; (v) 2008 की रिट याचिका

No.9131 में पारित 20.08.2008 आदेश के स्पष्टीकरण के लिए ठेकेदार द्वारा दायर समीक्षा याचिका इस हद तक स्पष्ट करने के लिए कि उसने 1983 के अधिनियम के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भ याचिका दायर करने के ठेकेदार के अधिकार को छीन नहीं लिया, खारिज कर दिया गया और वही प्राप्त भी हुआ।

आयुक्त; 2008 की रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष; और 1983 के अधिनियम के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भ याचिका में प्रस्तुत दावा बिना किसी बदलाव के समान हैं; (vii) उच्च न्यायालय के समक्ष बाद की संदर्भ याचिका में

1983 के अधिनियम के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 2008 की रिट याचिका No.9131 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश का कोई संदर्भ नहीं दिया था, जिसमें मध्यस्थ-आवास आयुक्त को निर्णय के लिए पक्षों के बीच विवाद का उल्लेख किया गया था और एम. पी. आवास और अवसंरचना विकास बोर्ड v.

केपी द्विवेदी

मध्यस्थ-आवास आयुक्त के लिए निर्णय के लिए पक्षकार एक सहमति आदेश था और उसके बाद ठेकेदार ने मध्यस्थ-आवास आयुक्त के समक्ष दावा प्रस्तुत करके मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया 'विवाद निपटान' के आधार पर पक्षों के बीच बंधन। [पैरा 14] [1101-जी-एच; 1102-ए-एच; 1103-ए]

2. इस तथ्य के अलावा कि द्वारा घोषित पुरस्कार

मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी

प्रत्यर्थी-ठेकेदार, भले ही, जब तक उक्त पुरस्कार को उच्च मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है, वही पक्षों के बीच बाध्यकारी है। यहां तक कि पुरस्कार या रद्द करने के आदेश को भी उपयुक्त मंच/उच्च मंच के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए। वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय पारित करने में मध्यस्थ-आवास आयुक्त के अधिकार क्षेत्र की पूरी तरह से कमी थी क्योंकि यह उच्च न्यायालय था जिसने निर्णय के लिए पक्षों के बीच विवाद को संदर्भित करने के लिए सहमति से आदेश पारित किया था।

मध्यस्थ-आवास आयुक्त। इसलिए, जब तक ठेकेदार द्वारा उच्च मंच के समक्ष इसे चुनौती नहीं दी जाती, तब तक प्रतिवादी-ठेकेदार को मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को नजरअंदाज करने और/या टालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आयुक्त दिनांक 07.11.2008। [पैरा 16] [1103-सी-ई]

3. अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जो दायर किया गया था वह उनके द्वारा दायर संशोधन आवेदन था। 1983 के अधिनियम की धारा 19 के तहत ठेकेदार ने

संदर्भ याचिका रखरखाव योग्य नहीं है। इसलिए, 1983 के अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, उच्च न्यायालय में संशोधन आवेदन केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ बनाए रखा जा सकता है। इसलिए, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि संदर्भ याचिका को खारिज करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि दिनांक 1 के आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण द्वारा कोई पुरस्कार पारित नहीं किया गया था। हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रस्तुति नहीं दी गई है।

पक्षकार, हम मामला वहीं छोड़ देते हैं। [पैरा 17] [1103-ई-एफ; 1104-ई-जी] [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. अन्यथा भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जबकि

विवादित निर्णय और आदेश पारित करते हुए, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को रद्द नहीं किया है-आवास

आयुक्त दिनांक 07.11.2008। इसलिए तकनीकी रूप से कहें तो

मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा दिनांकित 07.11.2008 द्वारा पारित पुरस्कार आज भी कायम है। यह पक्षों के बीच बाध्यकारी है। जब तक मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार-आवास

आयुक्त दिनांक 07.11.2008 का कहना है कि उन्हीं दावों के संबंध में बाद में कोई नई कार्यवाही नहीं हो सकती है जिन पर मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा दिनांकित 07.11.2008 पुरस्कार पारित करते समय विचार किया गया था और निर्णय लिया गया था। जब तक उक्त पुरस्कार बना रहता है, यह पक्षों के बीच बाध्यकारी है। [पैरा 18] [1104-जी-एच; 1105-ए-बी]

5. अन्यथा भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नहीं

प्रत्यर्थी द्वारा आपत्ति उठाई गई थी-मध्यस्थ के समक्ष ठेकेदार-के अधिकार क्षेत्र पर आवास आयुक्त

आवास आयुक्त एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। इसके विपरीत, पक्षकारों के बीच विवाद को निर्णय के लिए मध्यस्थ को संदर्भित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश -

आव

ास

आयुक्त एक सहमति आदेश था और प्रतिवादी ठेकेदार ने उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया और मध्यस्थ-आवास आयुक्त के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया। मध्यस्थ-आवास आयुक्त ने भी उक्त दावे

पर एक पुरस्कार पारित किया। इसलिए, चूंकि प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा उचित स्तर पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, इसलिए पुरस्कार को बाद में रद्द नहीं किया जा सकता है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि किसी भी समय प्रतिवादी-ठेकेदार ने मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा पारित पुरस्कार को चुनौती नहीं दी थी और यहां तक कि किसी भी अदालत ने मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा घोषित पुरस्कार को रद्द नहीं किया है और यह अंतिम रूप से प्राप्त हो गया है।

इसलिए, यह दोनों पक्षों के बीच बाध्यकारी है। इसलिए, 1983 के अधिनियम के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उन्हीं दावों के लिए बाद की नई संदर्भ याचिका जो मध्यस्थ-आवास आयुक्त के समक्ष उठाई गई थी, बिल्कुल भी विचारणीय नहीं होगी। यह न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत है।

[पैरा 19] [1105-बी-एफ] एम. पी. आवास और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड v. केपी द्विवेदी

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

और एक और बनाम। एल. जी. चौधरी इंजीनियर्स और ठेकेदार (2018) 10 एस. सी. सी. 826: 2018 (5) स्केल

103 ; होप प्लांटेशन लिमिटेड बनाम तालुक भूमि बोर्ड,

पीयरमेड एंड अदर, (1999) 5 एस. सी. सी. 590: [1998] 2 पूरक। एससीआर 514; भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और दूसरा , (2005) 1 एस. सी. सी. 787: [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 1104; पुष्प देवी भगत (डी) टी. एल. आर. साधना राय (श्रीमती) बनाम राजिंदर सिंह और अन्य। , (2006) 5 एससीसी 566: [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 370; रफीक बीबी (मृत) एल. आर. एस. बनाम सैयद वलीउद्दीन (मृत) एल. आर. और अन्य द्वारा, (2004) 1 एस. सी. सी. 287: [2003] 3 पूरक। एससीआर 100; M.P.Road

विकास प्राधिकरण और एएनआर। बनाम। एल. जी. चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ने (2012) 3 एस. सी. सी. 495 में रिपोर्ट किया: [2012] 2 एससीआर 162; एम. पी. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और ए . एन. आर. बनाम। एल. जी. चौधरी इंजीनियर्स और

(2018) 10 एस. सी. सी. 826 में सूचित ठेकेदार: 2018 (5)

स्केल 103; विवा हाईवेज़ लिमिटेड बनाम। एमपी रूरल रोड

2017 का विकास निगम लिमिटेड I.A.No.14

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निर्णय लिया

अदालत; मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम राज्य की

2018 की सिविल अपील No.4250 में सांसद द्वारा निर्णय लिया गया

भारत का सर्वोच्च न्यायालय; हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (2019) 17 एससीसी 82: [2019] 15 एस. सी. आर. 113-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1998] 2 पूरक। एससीआर 514

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.6

[2004] 6 पूरक। एससीआर 1104

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.6

[2006] 3 पूरक। एससीआर 370

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.7

[2003] 3 पूरक। एससीआर 100

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.7

[2012] 2 एससीआर 162

संदर्भित किया गया है

पैरा 8.2

[2019] 15 एससीआर 113

संदर्भित किया गया है

[2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.6768

2021 .

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 08.05.2018 से, मध्यस्थता संशोधन No.13 में मुख्य सीट जबलपुर

2017 से।

के साथ सिविल अपील सं। 6769 और 2021 का 6770।

भरत सिंह, ए. ए. जी., अर्जुन गर्ग, सुश्री सागुन श्रीवास्तव, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

कविन गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अनुज त्यागी, सुश्री मैत्री काकड़े, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता संशोधन सं. 1 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। 11 , 12 & 13 2017 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण, भोपाल द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया है और उक्त न्यायाधिकरण को गुण-दोष के आधार पर संबंधित संदर्भों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है, मध्य प्रदेश आवास और अवसंरचना विकास बोर्ड और अन्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. चूंकि इन अपीलों के समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है, इसलिए इन सभी अपीलों का निर्णय इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ किया जाता है और उनका निपटारा किया जाता है।

सुविधा के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न 2018 की विशेष अनुमति याचिका No.32557 से उत्पन्न 2021 की सिविल अपील No.6768

2017 की मध्यस्थता संशोधन संख्या 13 को प्रमुख मामले के रूप में माना जाता है और उक्त अपील में तथ्यों का वर्णन किया जाता है जो संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

2.1 अपीलकर्ताओं ने रिवेरा में घरों के निर्माण के लिए निविदा जारी की

शहर, मैनिट स्क्वायर के पास, भोपाल। इसमें प्रत्यर्थी को अनुबंध दिया गया था। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच दिनांकित 15.07.2005 का एक समझौता निष्पादित किया गया था।

वर्ष 2008 में, विवाद एम. पी. आवास और अवसंरचना विकास बोर्ड v. केपी द्विवेदी [एम. आर. शाह, जे.]

दलों के बीच उत्पन्न हुआ। अपीलार्थियों के अनुसार, प्रत्यर्थी को 18 महीने के भीतर काम पूरा करना था। हालांकि, बार-बार विस्तार देने के बावजूद, ठेकेदार काम पूरा करने में विफल रहा, जिसके कारण, अपीलकर्ताओं ने अनुबंध समझौते के खंड 3 को लागू करके अनुबंध को रद्द कर दिया। अनुबंध को रद्द करने के दिनांकित 30.06.2008 के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने अनुबंध समझौते के खंड 29 को लागू करके उप आवास के समक्ष 31.03.2009 तक का समय बढ़ाने के साथ एक दावा याचिका दायर की।

आयुक्त, भोपाल। प्रतिवादी ठेकेदार ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की जिसमें उसे काम पूरा करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.08.2008 के आदेश के माध्यम से उक्त का निपटारा किया पक्षों की संयुक्त सहमति पर याचिका कि विवाद का फैसला किया जाएगा

निर्धारित अवधि के भीतर मध्यस्थ अर्थात आवास आयुक्त, एम. पी. आवास बोर्ड द्वारा। इसके बाद प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने समय बढ़ाने के अनुरोध के साथ आवास आयुक्त के कार्यालय के समक्ष एक संशोधित दावा दायर किया। इस प्रकार, प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने आवास आयुक्त, एम. पी. आवास बोर्ड के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया। कि विद्वान मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी-ठेकेदार के दावे को अस्वीकार करते हुए और अपीलार्थियों के पक्ष में कुछ राहत देते हुए 07.11.2008 पर एक पुरस्कार पारित किया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'मध्यस्थता अधिनियम, 1996' के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत एक आवेदन के माध्यम से उक्त पुरस्कार को चुनौती देने के बजाय, प्रतिवादी ने मध्य प्रदेश की धारा 7 के तहत मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष एक नई संदर्भ याचिका दायर की।

मध्यम अधिकारन, विंध्याचल, भोपाल, (इसके बाद संदर्भित)

'1983 अधिनियम' के रूप में)। अपीलकर्ताओं ने प्रारंभिक आपत्तियों के साथ विभिन्न आधारों पर अपने लिखित बयान दायर किए, जिसमें यह भी शामिल है कि विवाद का निर्णय मध्यस्थ द्वारा पहले ही दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से किया जा चुका है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत गठित किया गया था और इसलिए, एम. पी. मध्यस्थता न्यायाधिकरण, भोपाल के समक्ष उसी दावे के लिए नई दावा याचिका विचारणीय नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय पहले ही अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है और इसलिए, उक्त दावे के लिए विवाद पर बाद में न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। विद्वत एम. पी. मध्यस्थता न्यायाधिकरण, भोपाल ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम

से उक्त दावे/संदर्भ को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावे का निर्णय पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जा चुका था और विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था और इसलिए उक्त दावे के लिए विवाद पर विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा बाद में विचार नहीं किया जा सका था।

3. यह महसूस करने के बाद कि 2008 के डब्ल्यू. पी. No.9131 में पारित पहले का आदेश, जिसके द्वारा विवाद को आवास आयुक्त को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, उसके रास्ते में एक विचार के रूप में आएगा, प्रतिवादी-ठेकेदार ने मई, 2017 के महीने में एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें 2008 के डब्ल्यू. पी. No.9131 में पारित दिनांकित 20.08.2008 के आदेश का स्पष्टीकरण मांगा गया, इस हद तक कि

आवास आयुक्त द्वारा विवाद, यह 1983 के अधिनियम के तहत गठित विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनता है। ऐसा प्रतीत होता है।

कि इस बीच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई समझौता 'कार्य अनुबंध' की परिभाषा के भीतर आता है तो ऐसे समझौते से उत्पन्न होने वाले विवाद पर न्यायाधिकरण द्वारा 1983 के तहत निर्णय लिया जाएगा।

एक्ट करें। पुनर्विचार आवेदन का अपीलार्थियों ने विरोध किया था। दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया कि मामला आदेश 47 नियम 1, सी. पी. सी. के तहत न्यायालय के समीक्षा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

3.1 कि पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद, प्रतिवादी

- ठेकेदार ने 1983 के अधिनियम की धारा 19 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता संशोधन याचिका दायर की, जिसमें विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 27.02.2017 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें दावे/संदर्भ को बनाए रखने योग्य नहीं बताया गया था। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त संशोधन की अनुमति दी है और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 27.02.2017 द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है और रद्द कर दिया है और 1983 के अधिनियम के तहत गठित विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण को गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार संदर्भ/दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

4. उच्च न्यायालय, एम. पी. हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

5. श्री भरत सिंह, विद्वान ए. ए. जी. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए हैं और श्री कविन गुलाटी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए हैं। प्रतिवादी-संबंधित अपीलों में ठेकेदार।

6. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री भरत सिंह ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि विवादित निर्णय और

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश ने विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 27.02.2017 द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया, जिसके द्वारा विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी-ठेकेदार द्वारा दायर संदर्भ/दावा याचिका को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया, विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित पहले के निर्णय को देखते हुए और विद्वत मध्यस्थ एम. पी. को निर्देश देते हुए।

केपी द्विवेदी [एम. आर. शाह, जे.]

दावा संदर्भ पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी टिकाऊ नहीं है।

6.1 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना और विचार नहीं किया है कि पहले पक्षों के बीच विवाद को उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थ-आवास आयुक्त को भेजा गया था और वह भी स्वयं प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा दायर याचिका में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार नियुक्त विद्वान मध्यस्थ ने एक ऐसा पुरस्कार पारित किया था जिसे अंतिम रूप दिया गया था क्योंकि उक्त पुरस्कार को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई-मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपील के माध्यम से ठेकेदार।

6.2 यह तर्क दिया जाता है कि विद्वान मध्यस्थ ने एक पुरस्कार पारित किया था और प्रतिवादी-ठेकेदार के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय था मध्यस्थता की धारा 34 के तहत अपील के माध्यम से इसे चुनौती दें।

अधिनियम, 1996, जो प्रत्यर्थी-ठेकेदार का समाधान करता है, लाभ उठाने में विफल रहा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बजाय उन्होंने 1983 के अधिनियम के तहत गठित विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एक नई दावा याचिका दायर की, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से देखी गई थी। 6.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करते हुए पारित आदेश-आवास

आयुक्त एक सहमति आदेश था और यह पक्षों के बीच किए गए समझौते में प्रासंगिक मध्यस्थता खंड के अनुसार था।

6.4 यह भी आग्रह किया जाता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 27.02.2017 द्वारा पारित आदेश के बाद भी, एक दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ विचार के बाद, प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने आदेश के 9 साल की अवधि के बाद दिनांकित सहमति आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया और उक्त समीक्षा याचिका भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समीक्षा याचिका को खारिज करने से भी अंतिम रूप मिल गया था और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया था। यह आग्रह किया जाता है कि इसलिए, प्रतिवादी-ठेकेदार के लिए उसी दावे के लिए एक नई दावा याचिका दायर करने के लिए खुला नहीं था जो विद्वान मध्यस्थ-आवास के समक्ष किया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार गठित आयुक्त।

6.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम के मामले में। एलजी चौधरी [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंजीनियर और ठेकेदार, (2018) 10 एस. सी. सी. 826, एम. पी. न्यायाधिकरण की अधिकारिता के मुद्दे से संबंधित, इस माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि यदि मध्यस्थता की अधिकारिता पर कोई आपत्ति संबंधित स्तर पर नहीं ली गई थी, तो उस पुरस्कार को केवल उसी आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। यह आग्रह किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा संबंधित स्तर पर ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। यह आग्रह किया जाता है कि वास्तव में, मध्यस्थ-आवास आयुक्त के समक्ष पूरी कार्यवाही थी

6.6 यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी-ठेकेदार द्वारा एक नई संदर्भ याचिका भी इश्यू एस्टोपेल के सिद्धांत को देखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं है। रिलायंस को होप प्लांटेशन लिमिटेड बनाम तालुक लैंड बोर्ड, पीरमेड और मामले में इस अदालत के फैसलों पर रखा गया है। दूसरा, (1999) 5 एस. सी. सी. 590 और भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और दूसरा, (2005) 1 एस. सी. सी. 787।

6.7 यह आगे तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी का दावा -

ठेकेदार कि वर्ष 2008 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून के विपरीत था और मध्यस्थ को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता है, इस कारण से गलत और गलत है कि आदेश सहमति से पारित किया गया था और भले ही आदेश गलत हो, यह तब तक पक्षों को बाध्य करता रहेगा जब तक कि इसे किसी सक्षम अदालत द्वारा दरकिनार नहीं किया जाता है। पुष्पा देवी भगत (डी) थ के मामले में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। एल. आर. साधना राय (श्रीमती) बनाम राजिंदर सिंह और

अन्य। , (2006) 5 एससीसी 566 (पैरा 17) और रफीक बीबी (मृत) एलआरएस द्वारा। बनाम सैयद वलीउद्दीन (मृत) एल. आर. और अन्य द्वारा, (2004) 1 एस. सी. सी. 287 (पैरा 7 और 8)।

7. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाए।

8. प्रतिवादी-ठेकेदार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कविन गुलाटी ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1983 का अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जो 'कार्य अनुबंध' से संबंधित विवादों के लिए उक्त अधिनियम के तहत वैधानिक और अनिवार्य मध्यस्थता प्रदान करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 7 में यह प्रावधान है कि 'कार्य अनुबंध' के लिए कोई भी पक्ष इस तथ्य की परवाह किए बिना कि समझौते में मध्यस्थता खंड है या नहीं, विवाद को लिखित रूप में न्यायाधिकरण को संदर्भित करेगा।

यह तर्क दिया जाता है कि 'विवाद' शब्द को एम. पी. आवास और अवसंरचना विकास बोर्ड v. द्वारा परिभाषित किया गया है। केपी द्विवेदी [एम. आर. शाह, जे.]

धारा 2 (डी) में Rs.50,000/- या उससे अधिक मूल्य वाले दावे का अर्थ है। यह तर्क दिया जाता है कि इसलिए Rs.50,000/- से ऊपर के दावे होने चाहिए धारा 3 के तहत गठित न्यायाधिकरण के समक्ष अनिवार्य रूप से लाया गया

1983 का अधिनियम।

8.1 यह आग्रह किया जाता है कि 1983 के अधिनियम की धारा 7 बी के अनुसार भी किसी भी विवाद को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को तब तक नहीं भेजा जा सकता जब तक कि पहले के दायरे में अंतिम प्राधिकरण के निर्णय के लिए संदर्भित

शब्द 'कार्य अनुबंध'। यह केवल एक बार होता है जब कोई निर्णय लिया जाता है या यदि प्राधिकरण निर्णय लेने में विफल रहता है तो न्यायाधिकरण के समक्ष दावा किया जा सकता है।

8.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक एम. पी. राज्य का संबंध है, 1983 का अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और इसलिए यह प्रावधानों पर हावी होगा।

विकास प्राधिकरण और एएनआर। बनाम। एल. जी. चौधरी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ने (2018) 10 एस. सी. सी. 826 में रिपोर्ट किया। 8.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भी विवा राजमार्ग लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में यही विचार रखा है। एए में एमपी ग्रामीण सड़क विकास निगम लिमिटेड

2017 का सं. 14 और संबंधित मामले। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय को इस माननीय न्यायालय द्वारा मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एस्सेल इन्फ्रा 2018 की सिविल अपील No.4250 में मध्य प्रदेश राज्य।

8.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, समझौते के खंड 29 में निहित मध्यस्थता खंड दो चरणों पर विचार करता है।

न्यायनिर्णयन। पहले चरण में उप आवास आयुक्त को उनके निर्णय के लिए एक संदर्भ दिया जाना चाहिए। यदि राशि रुपये से अधिक है। 25,000 / - फिर कागजातों को आवास आयुक्त के समक्ष रखा जाना चाहिए। यह पहला चरण है। दूसरा चरण तब विचार करता है कि, यदि पक्ष उप आवास आयुक्त के निर्णय से व्यथित हैं, तो विवाद को 1983 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकार क्षेत्र और सीमाओं के अधीन अतिरिक्त आवास आयुक्त को भेजा जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अतिरिक्त आयुक्त भी केवल उन विवादों से निपट सकते हैं जो केवल नीचे दिए गए हैं।

Rs.50,000/- के रूप में उस राशि से ऊपर के विवाद वैधानिक रूप से संदर्भित हैं

विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता जैसा कि 1983 के अधिनियम की धारा 3,7,2 (घ) और 7 ख से स्पष्ट है।

8.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, विचाराधीन अनुबंध

30.06.2008 पर समाप्त कर दिया गया था और 11.07.2008 पर उप आवास आयुक्त के समक्ष एक दावा किया गया था। चूंकि अनुबंध समाप्त कर दिया गया था और इसमें अपीलकर्ता नई निविदाएं आमंत्रित कर रहे थे और प्रतिवादी-ठेकेदार की मशीनरी और सामग्री को भी जब्त कर रहे थे, इसलिए एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें सं. 9131 आसन्न मौद्रिक नुकसान के खतरे के तहत निर्णय के

पहले चरण के समापन में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 का आदेश। यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-ठेकेदार की दलीलें दर्ज करने के बाद अपने दिनांक 20.08.2008 के आदेश द्वारा आवास आयुक्त को समझौते में निर्धारित अवधि के भीतर विवाद का फैसला करने का निर्देश दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि उप आवास आयुक्त द्वारा निर्णय लेने में देरी हुई थी, इसलिए आवास आयुक्त को इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि विवादग्रस्त राशि Rs.25,000/- से अधिक थी और यह केवल आवास आयुक्त ही है जो अनुबंध के खंड 29 के अनुसार निर्णय ले सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को कानून की अदालत से संपर्क करके अंतिम परिणाम के खिलाफ अपनी शिकायतों के निवारण की मांग करने की स्वतंत्रता भी दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश खंड 29 के अनुरूप था क्योंकि यह एक ऐसे निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है जो खंड 29 के अनुसार विवाद के समाधान का पहला चरण होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवास आयुक्त एक एकतरफा आदेश द्वारा 07.11.2008 दिनांकित आदेश द्वारा

1983 के अधिनियम के तहत ठेकेदार। यह तर्क दिया जाता है कि आवास आयुक्त के दिनांक 1 के निर्णय को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत निर्णय नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि प्रतिवादी को धारा 34 के तहत आपत्तियां दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी। मध्यस्थता अधिनियम, 1996, जैसा कि अपीलार्थियों की ओर से प्रतिवाद किया गया था।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा दायर एक संदर्भ-ठेकेदार

आवास आयुक्त के आदेश के बाद केवल आवास आयुक्त के दिनांक 07.11.2008 के आदेश के बाद ही बनाए रखा जा सकता था और उससे पहले नहीं। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ठेकेदार अनुबंध के खंड 29 के साथ पठित 1983 के अधिनियम की धारा 7 और 7 बी के अनुसार सख्ती से कार्य किया है।

8.6 वैकल्पिक रूप से, यह मानते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही आवास आयुक्त के दिनांकित 07.11.2008 के आदेश को निम्नानुसार माना जाता है

मध्यस्थता अधिनियम, 1996, किसी भी मध्यस्थता एम. पी. आवास और अवसंरचना विकास बोर्ड v की तरह गैर-निहित होगा।

केपी द्विवेदी [एम. आर. शाह, जे.]

एम. पी. में 'कार्य अनुबंध' से संबंधित केवल 1983 के अधिनियम के तहत हो सकता है। प्रत्यर्थी-ठेकेदार द्वारा आवास आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने के लिए सहमति देने का तथ्य महत्वहीन होगा क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बिना थी और शुरू से ही अमान्य थी। रिलायंस को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम रिलायंस के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019) 17 एस. सी. सी. 82.

उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए वर्तमान को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

अपीलें करें।

9. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान परामर्श को विस्तार से सुना।

10. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न रखा गया है, वह यह है कि क्या आवास आयुक्त, एम. पी. आवास बोर्ड द्वारा घोषित निर्णय को देखते हुए, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका No.9131 में पारित आदेश के अनुसार मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। 2008 का, क्या इसके बाद प्रत्यर्थी-ठेकेदार के लिए यह खुला था कि वह एम. पी. मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष उसी दावे के संबंध में एक संदर्भ दायर करे /

दावा जो मध्यस्थ-आवास आयुक्त के समक्ष मध्यस्थता का विषय था।

प्रत्यर्थी-ठेकेदार की ओर से यह मामला है कि चूंकि अनुबंध एक 'कार्य अनुबंध' था और इसलिए, अपीलकर्ताओं और प्रत्यर्थी-ठेकेदार के बीच विवाद का फैसला केवल 1983 के अधिनियम के तहत गठित विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता था, इसलिए आवास आयुक्त को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने और पक्षों के बीच विवाद का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं था और मध्यस्थ आवास आयुक्त द्वारा पारित पुरस्कार को गैर-स्थायी और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना कहा जा सकता है।

11. उपरोक्त मुद्दे और संबंधित पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते समय, सबसे पहले राहत

जिसे 2008 की रिट याचिका No.9131 में प्रत्यर्थी-ठेकेदार द्वारा अनुरोध किया गया था और 2008 की रिट याचिका संख्या 9131 में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी-ठेकेदार द्वारा किए गए संबंधित दावों को मध्यस्थ-आवास आयुक्त के समक्ष और विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भित और विचार किया जाना आवश्यक है।

11.1 2008 की रिट याचिका No.9131 में प्रत्यर्थी ठेकेदार ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की:

(क) "प्रत्यर्थियों को मध्यस्थता पूरी करने का निर्देश देना।

कार्यवाही।

उत्तरदाताओं को समझौते को रद्द नहीं करने का निर्देश देना और

(ख)

याचिकाकर्ता को काम पूरा करने और दिनांकित निविदा के आदेश को रद्द करने की अनुमति दी जाए 20.07.2008 (अनुलग्नक पी/22) और

दिनांक 27.07.2008 अनुलग्नक पी/23)। 30.06.2007 दिनांकित आदेश को अलग रखें (अनुलग्नक पी/19)

((ग)

कार्यकारी अभियंता द्वारा उत्तीर्ण।

उत्तरदाताओं को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश देना।

((घ)

रु. का बकाया। 17835925.00 ब्याज और मुआवजे के साथ दस करोड़।

(ई)

याचिकाकर्ता। संबंधित अभिलेखों पर कॉल करना

(च)

कोई अन्य आदेश/आदेश, निर्देश जो इस माननीय न्यायालय द्वारा

(जी)

उचित और उचित समझे जाने पर भी अनुमति दी जा सकती है।" "

11.2 कि इसके बाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया

20.08.2008 :

" श्री समीर सेठ, याचिकाकर्ता के वकील।

श्री हरमीत सिंह, वकील के साथ श्री टी. एस. रूपरा, वरिष्ठ वकील

उत्तरदाताओं/एम. पी. आवास बोर्ड के लिए।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा कि समझौते में मध्यस्थता खंड को अनुबंध पी20 के माध्यम से संदर्भ प्रस्तुत करके लागू किया गया है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान शेष कार्य के लिए

निविदा आमंत्रित करने से रोकने के संबंध में अंतरिम राहत के अनुरोध की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बार में कहा कि कोई आदेश पारित नहीं किया गया है

अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना पर। ऐसा होने पर, इस याचिका का निपटारा एक संयुक्त सहमति के साथ किया जाता है -

पक्षकारों के लिए विद्वान वकील निम्नलिखित तरीके से: (i) मध्यस्थ अर्थात आवास आयुक्त, एम. पी. आवास बोर्ड निर्धारित अवधि के भीतर मध्यस्थता में विवाद का फैसला करेगा।

समझौते में। (ii) अंतरिम पृष्ठ पर की गई अंतरिम प्रार्थना पर निर्णय-संदर्भ के 25 (अनुलग्नक पी20) आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर लिया जाएगा।

एम. पी. आवास और आधारभूत संरचना

विकास

बोर्ड वी. केपी द्विवेदी [एम. आर. शाह, जे.]

(iii) तब तक नई निविदा के अनुसार कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

((iv) याचिकाकर्ता को एक अलग याचिका दायर करने की भी स्वतंत्रता होगी।

दिनांक 07.08.2008 के अंतरिम आदेश द्वारा दी गई राहत के संबंध में तीन दिनों के भीतर आवेदन। इस तरह के आवेदन पर निर्णय, यदि दायर किया जाता है, तो अधिमानत: एक सप्ताह के भीतर तेजी से लिया जाएगा। 07.08.2008 दिनांकित अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

जब तक इस तरह के अंतरिम आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है।

याचिका, तदनुसार इस अवलोकन के साथ निपटाई जाती है कि पीड़ित पक्ष, अंतिम के खिलाफ शिकायत के मामले में

परिणाम स्वरूप, उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होगा।

11.3 इसके बाद यह प्रतिवादी-ठेकेदार था जिसने स्वयं मध्यस्थ-आवास आयुक्त के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। मध्यस्थ-आवास आयुक्त ने प्रतिवादी-ठेकेदार को नोटिस जारी किया। हालाँकि, दावे प्रस्तुत करने के बाद, प्रत्यर्थी-ठेकेदार विद्वान मध्यस्थ-आवास आयुक्त के सामने पेश नहीं हुआ और परिणामस्वरूप साक्षय की सराहना पर और

अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, विद्वान मध्यस्थ-आवास आयुक्त ने 07.11.2008 दिनांकित एक पुरस्कार पारित किया। इसके बाद, प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने 1983 के

अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एक संदर्भ दायर किया, जिसमें वही दावे किए गए जो उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित याचिका में किए गए थे।

इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संदर्भ याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा लिखित में पारित आदेश का कोई संदर्भ नहीं था 2008 की याचिका No.9131 पक्षकारों के बीच विवादों को मध्यस्थ-आवास आयुक्त को संदर्भित करती है और उसके बाद आवास आयुक्त के समक्ष दावे प्रस्तुत करती है और विद्वान मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा पारित पुरस्कार दिनांक 07.11.2008। एक विस्तृत लिखित बयान दायर किया गया था। लिखित कथन के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

" याचिकाकर्ता द्वारा आवास को भी दावा दायर किया गया था

1 .

उत्तरदाताओं के आयुक्त जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए विधिवत निर्णय लिया गया था

एमपी.

माननीय उच्च न्यायालय ने लिखित में 20.08.2008 दिनांकित आदेश द्वारा

2 .

याचिका सं. 9131/2008 ने एम. पी. के आयुक्त को निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवास बोर्ड कार्यों की पुनः निविदा से पहले ठेकेदार द्वारा दायर अंतरिम रोक के आवेदन पर निर्णय लेगा। समझौते के प्रावधान में समझौते के खंड 29 के तहत अंतिम सुनवाई के लिए भी निर्देश जारी किए गए थे। माननीय आयुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया था और ठेकेदार को विधिवत नोटिस दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने आयुक्त के आदेश को देखने के लिए भी कोई मेहनत नहीं की।

07.11.08 , जिसके अनुपालन में उसके द्वारा पारित किया गया था

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश।

याचिकाकर्ता किसी भी राहत का दावा करने का हकदार नहीं है क्योंकि उसने

3 .

इस माननीय एम. पी. मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष स्वच्छ हाथों और सर्वोच्च महत्व के तथ्यों के साथ नहीं आए हैं

याचिकाकर्ता द्वारा उक्त में जानबूझकर दबा दिया गया था

याचिका।

वह माननीय के निर्देश आदेश के अनुसार। उच्च न्यायालय ने

4 .

मामला पहले ही तय हो चुका है और पुरस्कार पहले ही पारित किया जा चुका है और याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है इसलिए माननीय सांसद मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष दायर याचिका खारिज होने के योग्य है, किसी भी राहत का दावा नहीं किया जा सकता है।

कि याचिकाकर्ता ने पुरस्कार को विधिवत स्वीकार कर लिया है जैसा कि यह स्पष्ट है

5 .

अपनी कार्रवाई से कि उसने मध्यस्थ आवास आयुक्त द्वारा इस प्रकार आदेशित भुगतान को स्वीकार कर लिया है

पुरस्कार। आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 07.11.2008 के पुरस्कार के अनुपालन में याचिकाकर्ता को पहले ही पुरस्कार के अनुसार भुगतान प्राप्त हो चुका है जैसा कि दिनांक 02.11.2009 के पत्र से स्पष्ट है कि इस प्रकार प्राप्त पुरस्कार रु। 3,57,000 / - कुल मिलाकर दिनांकित 02.01.2009 चेक के माध्यम से।

कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई और प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है

6 .

यह कि याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में मध्यस्थ द्वारा दिए गए भुगतान को स्वीकार करने से पहले उपयुक्त अदालत के समक्ष इसे चुनौती दिए बिना पुरस्कार स्वीकार कर लिया है, याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार और सहमत किया गया है। इस कानूनी कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की यह याचिका
प्रवेश के योग्य भी नहीं है क्योंकि अंतिम निर्णय द्वारा पूरा किया गया था

आयुक्त का आदेश, एम. पी. आवास बोर्ड, जारी किया गया

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत। एम. पी. आवास और अवसंरचना विकास बोर्ड v. केपी द्विवेदी [एम. आर. शाह, जे.]

11.4 कि अपीलकर्ताओं ने आई. ए. सं. 1 दायर किया जिसमें विद्वान के समक्ष संदर्भ की रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक मुद्दे उठाए गए थे।

न्यायाधिकरण। विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित प्रारंभिक व्यवस्था तैयार की मुद्दे:

" (i) क्या याचिकाकर्ता ने इस न्यायाधिकरण से संपर्क करने से पहले खंड 29 के प्रावधानों का पालन किया है?

((ii) क्या याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ने सहमति से दिनांक 07.11.2008 का निर्णय पारित किया और उस पर कार्रवाई की?

11.5 कि एक विस्तृत आदेश द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 20.08.2008 द्वारा पारित आदेश पर विचार करते हुए दोनों के बीच के विवादों को संदर्भित करते हुए

मध्यस्थ के पक्षकार-आवास आयुक्त; उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष किए गए दावों ने यह मानते हुए संदर्भ को खारिज कर दिया कि संदर्भ याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है। संदर्भ याचिका को पैरा 18 में बनाए रखने योग्य नहीं बताते हुए विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" दिनांकित 20.08.2008 आदेश के अवलोकन पर (उदा. डी/18) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश दोनों पक्षों की सहमति से पारित किया गया था। आदेश इंगित करता है कि आवास आयुक्त को पक्षों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। विद्वान वकील का तर्क

याचिकाकर्ता का कि आवास आयुक्त को सक्षम प्राधिकारी के रूप में खंड 29 का आह्वान करके याचिकाकर्ता के मात्रात्मक दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, स्वीकार्य नहीं प्रतीत होता है क्योंकि आवास आयुक्त को आदेश में मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, आवास आयुक्त को सक्षम प्राधिकारी के रूप में विवाद का फैसला करने का निर्देश नहीं दिया गया था। इसके अलावा, खंड 29 के तहत केवल दो सक्षम प्राधिकारी हैं, पहला, उप। आवास आयुक्त और यदि वह निर्णय लेने में विफल रहता है

60 दिनों के भीतर विवाद अतिरिक्त आवास आयुक्त होता है। तीसरे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मात्रात्मक दावे पर निर्णय लेने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय के पास शक्ति का उपयोग करके तीसरे सक्षम प्राधिकारी को बनाने/नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है समझौते का खंड 29, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के पास अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति है। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह केवल

अनुमान लगाया जा सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए [2021] 11 एस. सी. आर. को नियुक्त किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवाद का निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ के रूप में आवास आयुक्त। द.

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुत करना कि

मध्यस्थ की नियुक्ति अधिकारिता के बिना है और अधिनियम, 1983 के प्रावधानों पर उक्त आदेश का अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता है और उक्त आदेश का प्रति आदेश होने के कारण कोई बल प्रतीत नहीं होता है, लेकिन इस न्यायाधिकरण के पास यह कहने की कोई शक्ति नहीं है कि रिट अधिकार क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है और शून्यता का प्रभाव रखता है क्योंकि यह न्यायाधिकरण माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, जिसे अनुच्छेद 227 के तहत इस पर पर्यवेक्षी शक्ति प्राप्त है।

भारत का संविधान। इसके अलावा, इस न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को सिविल संशोधन द्वारा अधिनियम, 1983 की धारा 19 के तहत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। यदि याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश से संतुष्ट नहीं था, तो उक्त आदेश की औचित्य और वैधता को याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम मंच के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। इसके अलावा, उक्त आदेश पारित किया गया था दोनों पक्षों की सहमति से। उक्त परिस्थितियों में, यह न्यायाधिकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि आवास आयुक्त को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थ के रूप में पक्षों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसने उसी निर्णय को दिनांक 07.11.2008 के निर्णय के माध्यम से लिया था। उक्त पुरस्कार की वैधता और औचित्य को अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपील दायर करके चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन याचिकाकर्ता ऐसा करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप, उक्त पुरस्कार ने संदर्भ दाखिल करने से पहले अंतिमता हासिल कर ली थी

याचिका। एक बार पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय सक्षम मध्यस्थ द्वारा पहले ही कर लिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायाधिकरण के समक्ष उसी विवाद को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है। दित्य (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पैरा में विस्तार से चर्चा की

12 यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक गलत निर्णय भी लिया जाता है जो कानून के विपरीत है, पक्षकारों पर तब तक बाध्यकारी है जब तक कि इसे अपील में या खंड के तहत प्रदान किए गए अन्य उपचार द्वारा अलग नहीं किया जाता है।

12. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 27.02.2017 के बाद

विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा 2008 की रिट याचिका में पारित पूर्व आदेश को ध्यान में रखते हुए संदर्भ याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी, जिसमें मध्यस्थ-आवास आयुक्त, प्रत्यर्थी एम. पी. द्वारा विवाद के निर्णय का निर्देश दिया गया था।

केपी द्विवेदी [एम. आर. शाह, जे.]

ठेकेदार ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की, यह महसूस करते हुए कि 2008 की रिट याचिका No.9131 में पारित दिनांकित 20.08.2008 आदेश विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भ याचिका को आगे बढ़ाने में उनके रास्ते में आएगा, जिसमें 2008 के W. P. No.9131 में पारित आदेश का स्पष्टीकरण इस हद तक मांगा गया है कि

आवास आयुक्त द्वारा विवाद, यह अधिनियम 1983 के तहत गठित विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनता है। उक्त पुनरीक्षण याचिका का अपीलार्थियों ने विरोध किया था। 07.09.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय ने उक्त समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद प्रत्यर्थी ठेकेदार ने पुनरीक्षण आवेदन दायर किया

बनाए रखने योग्य। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पूर्ण पीठ के बाद के निर्णय पर भरोसा करते हुए विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा 27.02.2017 पर पारित आदेश को रद्द कर दिया है और विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण को योग्यता के आधार पर संदर्भ पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। विवादित फैसला और 2017 के ए. आर. No.13 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

13. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 2008 की रिट याचिका No.9131 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले का आदेश,

जिसे पक्षों के बीच विवाद मध्यस्थ को भेजा गया था-आवास आयुक्त एक सहमति आदेश था। यह प्रतिवादी ठेकेदार था जिसने 2008 की रिट याचिका No.9131 दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उसने मध्यस्थता खंड को लागू किया है। इसके बाद प्रत्यर्थी

ठेकेदार ने मध्यस्थ के समक्ष दावा प्रस्तुत किया-आवास

आयुक्त जिन्होंने एक पुरस्कार पारित किया। प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा पारित पुरस्कार को चुनौती नहीं दी और इसलिए, मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा पारित पुरस्कार दिनांक

07.11.2008 को अंतिम रूप मिल गया है। 14. प्रत्यर्थी-ठेकेदार का मामला कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 20.08.2008 रिट याचिका में पारित किया गया था

2008 का No.9131, मध्यस्थ-आवास आयुक्त को निर्णय के लिए पक्षों के बीच विवाद को संदर्भित करना और उसके बाद पुरस्कार

मध्यस्थ द्वारा घोषित-आवास आयुक्त दिनांक 07.11.2008 गैर-स्थायी और अमान्य हैं और इसलिए, ठेकेदार के लिए विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एक नई संदर्भ याचिका दायर करने के लिए खुला था।

1983 के अधिनियम की धारा 7 को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रतिवादी था-ठेकेदार जिसने संपर्क किया

((i)

उच्च न्यायालय ने 2008 की रिट याचिका No.9131 दायर करके प्रस्तुत किया कि उन्होंने मध्यस्थता खंड को लागू किया है;

((ख)

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2008 पर पारित आदेश पारित किया गया

2008 की रिट याचिका No.9131 में विवाद का उल्लेख किया गया है।

मध्यस्थ के पक्षकारों के बीच-आवास

आयुक्त एक सहमति आदेश था;

(iii)

इसके बाद प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने दावे प्रस्तुत किए

विद्वान मध्यस्थ-आवास आयुक्त के समक्ष;

(iv) विद्वान मध्यस्थ-आवास आयुक्त ने एक पारित किया

पुरस्कार जिसने अंतिमता प्राप्त की हो;

(v)

कि ठेकेदार द्वारा दायर समीक्षा याचिका के लिए

2008 के रिट याचिका No.9131 में पारित दिनांक 20.08.2008 के आदेश का स्पष्टीकरण उपरोक्त आदेश को इस हद तक स्पष्ट करने के लिए कि यह विद्वान मध्यस्थ के समक्ष संदर्भ याचिका दायर करने के ठेकेदार के अधिकार को नहीं छीनता है।

1983 के अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण को खारिज कर दिया गया और

उसी ने भी अंतिमता प्राप्त की;

मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत दावे-आवास

(vi)

आयुक्त; 2008 की रिट याचिका No.9131 में उच्च न्यायालय के समक्ष; और 1983 के तहत विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भ याचिका में प्रस्तुत दावा अधिनियम बिना किसी परिवर्तन के समान हैं;

(vii) 1983 के अधिनियम के तहत विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष बाद की संदर्भ याचिका में 2008 की रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश का कोई संदर्भ नहीं था, जिसमें मध्यस्थ-आवास आयुक्त को निर्णय के लिए पक्षों के बीच विवाद और मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा पारित पुरस्कार का उल्लेख किया गया था। इस प्रकार, प्रतिवादी की ओर से एक दमन था

- ठेकेदार;

(viii) उच्च न्यायालय द्वारा 2008 की रिट याचिका No.9131 में विवाद का उल्लेख करते हुए दिनांक 20.08.2008 पर पारित आदेश

मध्यस्थ आवास आयुक्त के निर्णय के लिए पक्षों के बीच एक सहमति आदेश था और उसके बाद ठेकेदार ने मध्यस्थता एम. पी. आवास और अवसंरचना विकास बोर्ड v में भाग लिया।

केपी द्विवेदी [एम. आर. शाह, जे.]

मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही-आवास आयुक्त दावा प्रस्तुत करके पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है

'इश्यू एस्टोपेल' का आधार।

15. भानु कुमार जैन (उपरोक्त) के मामले में यह देखा गया है और माना गया है कि कार्रवाई का एक कारण उत्पन्न होता है जहां दो अलग-अलग होते हैं।

समान मुद्दे उठाए जाते हैं, जिस स्थिति में, समान पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही को उसी तरह निपटाया जाएगा जैसे पिछली कार्यवाही में किया गया था। ऐसी स्थिति में, धोखाधड़ी और मिलीभगत के आरोप को छोड़कर तय किए गए सभी बिंदुओं के संबंध में प्रतिबंध पूर्ण है।

16. इस तथ्य के अलावा कि मध्यस्थ द्वारा घोषित पुरस्कार

आवास आयुक्त को प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी -

ठेकेदार, भले ही, जब तक उक्त पुरस्कार को उच्च मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक यह पक्षों के बीच बाध्यकारी है। यहां तक कि पुरस्कार या रद्द करने के आदेश को भी उपयुक्त मंच/उच्च मंच के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए। वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय पारित करने में मध्यस्थ-आवास आयुक्त के अधिकार क्षेत्र की पूर्ण कमी थी क्योंकि यह उच्च न्यायालय था जिसने मध्यस्थ-आवास आयुक्त को निर्णय के लिए पक्षों के बीच विवाद को संदर्भित करने के लिए सहमति से आदेश पारित किया था। इसलिए, जब तक और जब तक ठेकेदार द्वारा उच्च मंच के समक्ष इसे चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक प्रतिवादी-ठेकेदार को मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा पारित निर्णय को नजरअंदाज करने और/या टालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 17. अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जो दायर किया गया था वह ठेकेदार द्वारा दायर संशोधन आवेदन था

1983 के अधिनियम की धारा 19 के तहत संदर्भ याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा गया है कि बनाए रखने योग्य। 1983 के अधिनियम की धारा 19 निम्नानुसार है:

" 19. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति। – उच्च न्यायालय किसी भी समय स्वत: संज्ञान ले सकता है या इसके भीतर संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। पीड़ित पक्ष द्वारा निर्णय दिए जाने के तीन महीने बाद, न्यायाधिकरण को अनुरोध जारी करके इस अधिनियम के तहत निर्णय दिए जाने वाले किसी भी मामले का रिकॉर्ड मांगे और ऐसी मांग प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण उसे भेजेगा या भेजेगा।

संबंधित पुरस्कार और उसके अभिलेख को न्यायालय में प्रस्तुत करना;

बशर्ते कि पुनरीक्षण के लिए कोई भी आवेदन तीन महीने की निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि आवेदक उच्च न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास इसे पसंद नहीं करने का पर्याप्त कारण है।

ऐसी अवधि के साथ पुनरीक्षण।

व्याख्या: - यह तथ्य कि आवेदक को किसी भी आदेश, अभ्यास या निर्णय या उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि का पता लगाने या गणना करने में गुमराह किया गया था, अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण हो सकता है।

इस उप-खंड का।

(2) यदि यह उच्च न्यायालय को प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण

किसी ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है; या

(अ)

इस प्रकार निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है; या

(ख)

अवैध रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कार्य किया है, या

((ग)

भौतिक अनियमितता; या

स्वयं या कार्यवाहियों का गलत संचालन किया है; या

((घ)

(ई)

एक पुरस्कार दिया है जो अमान्य है या किया गया है

कार्यवाही के किसी भी पक्ष द्वारा अनुचित रूप से प्राप्त किया गया,

उच्च न्यायालय मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

(3) उच्च न्यायालय इस धारा के तहत किसी भी संशोधन का निर्णय लेने में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो वह धारा 115 के तहत संशोधन का निर्णय लेने में करता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का सं. 5)।
(4) उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में अपने आदेश की एक प्रति बनाएगा

न्यायाधिकरण को प्रमाणित।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक पुरस्कार

एक 'अंतरिम' पुरस्कार शामिल करें। ”

इसलिए, 1983 के अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, उच्च न्यायालय में संशोधन आवेदन केवल पारित पुरस्कार के खिलाफ बनाए रखने योग्य होगा।

जैसे कि विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भ याचिका को अस्वीकार करने वाला आदेश बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि दिनांक 27.02.2017 के आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण द्वारा कोई पुरस्कार पारित नहीं किया गया था। हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और पक्षों द्वारा कोई प्रस्तुति नहीं दी गई है, इसलिए हम मामले को वहीं छोड़ देते हैं। 18. अन्यथा भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को रद्द नहीं किया है-आवास आयुक्त दिनांकित

07.11.2008 . इसलिए, तकनीकी रूप से मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा दिनांकित 07.11.2008 द्वारा पारित पुरस्कार आज भी मौजूद है। यह पक्षों के बीच बाध्यकारी है।

जब तक पुरस्कार एम. पी. आवास और अवसंरचना विकास बोर्ड v. द्वारा पारित किया जाता है। केपी द्विवेदी [एम. आर. शाह, जे.]

19. अन्यथा भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मध्यस्थ के समक्ष प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी-आवास आवास आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आयुक्त एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। इसके विपरीत, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के लिए पक्षों के बीच विवाद को संदर्भित करते हुए

मध्यस्थ-आवास आयुक्त के लिए निर्णय एक सहमति आदेश था और प्रतिवादी-ठेकेदार ने उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया और मध्यस्थ-आवास आयुक्त के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया। मध्यस्थ-आवास आयुक्त ने भी एक पारित किया

उक्त दावे पर पुरस्कार। इसलिए, चूंकि प्रतिवादी-ठेकेदार द्वारा उचित स्तर पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, इसलिए पुरस्कार को बाद में रद्द नहीं किया जा सकता है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि किसी भी समय प्रतिवादी-ठेकेदार ने पुरस्कार को चुनौती नहीं दी थी

मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा पारित और जैसा कि यहाँ ऊपर देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, किसी भी अदालत ने मध्यस्थ-आवास आयुक्त द्वारा दिनांकित 07.11.2008 घोषित पुरस्कार को रद्द नहीं किया है और इसे अंतिम रूप मिल गया है। इसलिए, यह दोनों पक्षों के बीच बाध्यकारी है। इसलिए, 1983 के अधिनियम के तहत विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उन्हीं दावों के लिए बाद की नई संदर्भ याचिका जो मध्यस्थ-आवास आयुक्त के समक्ष उठाई गई थी, बिल्कुल भी विचारणीय नहीं होगी। हम मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

20. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है। विवादित निर्णय और दिनांकित आदेश 08.05.2018 ए. आर. No.11,12 और 13/2017 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 1983 के अधिनियम दिनांक 27.02.2017 के तहत गठित विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और रद्द करने के लिए इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2017 को बहाल कर दिया जाता है।

इन सभी अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों

की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान